न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—276/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/276)

1. अब्दुल रहमान खां पुत्र जमाल खां जाति देशवाली मुसलमान निवासी—ग्राम गगवाना तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती प्रेमकंवर पत्नि श्री नरेन्द्र सिंह जाति नरूका राजपूत निवासी—बी—536 जेडीए कॉलोनी मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान।
2. नरेन्द्र सिंह नरूका पुत्र श्री चरणसिंह जाति राजपूत निवासी—बी—536 जेडीए कॉलोनी मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अजमेर।
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा घूघरा जरिए प्रबंधक ग्राम घूंघरा तहसील व जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट गगवाना ग्राम पंचायत गगवाना, विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.11.2021 राजस्व वाद संख्या 06/2016

उपस्थितः—

1. श्री सी.पी.शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री शंकरलाल चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03.
4. रेस्पोडेंटस संख्या 04 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः— 25.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट गगवाना ग्राम पंचायत गगवाना, प्रकरण संख्या 06/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 2 नोटिस तामिल होने के बावजूद गैर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण को अपनी जोत/खेतो में जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट केवल मात्र द्वेषता के कारण प्रार्थी/अपीलांट की भूमि में से नया रास्ता कायम करन आमादा है और केवल मात्र सुविधा के लिए नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है जबकि पहले से ही रास्ता उपलब्ध हो इसके उपरान्त भी बिना प्रार्थी/अपीलांट की उपस्थिति में मौका नक्शा व निरीक्षण किये मिलीभक्ति से रास्त का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट गगवाना ग्राम पंचायत गगवाना, प्रकरण संख्या 06/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटस संख्या 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2021 जो कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2016 अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जिसमें पक्षकारान के मध्य आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी राजीनामा व सहमति नहीं हुई और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत गगवाना के समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई भी आदेश पत्रावली पर अथवा अन्यथा अपीलांट/प्रार्थी को उनके अभिभाषक को जारी कर सूचित नहीं किया और बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय नियमों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए नया रास्ता कायम किए जाने का निवेदन किया जिसमें प्रार्थी/अपीलांट को तलब कर अपना पक्ष करने के लिए सूचित किया जिस पर प्रार्थी/अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए विशेष रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी जोत/खेतों में जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट केवल मात्र द्वेषता के कारण प्रार्थी अपीलांट की भूमि में से नया रास्ता कायम करने पर आमादा है और केवल मात्र सुविधा के लिए नया रासता कायम नहीं किया जा सकता है जबकि पहले से ही रास्ता उपलब्ध हो इसके उपरांत भी बिना प्रार्थी/अपीलांट की उपस्थिति में मौका नक्शा व निरीक्षण किए मिलीभक्ति से रास्ते का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसे निरस्त किए जाने के लिए अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की है। राजस्व अभियान के दौरान प्रशासन गांव के संग अभियान में केवल मात्र पक्षकरों के मध्य हुई सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था जिसके विरीत बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिसे निरस्त किए जाने के लिए अपील प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट गगवाना ग्राम पंचायत गगवाना, प्रकरण संख्या 06/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम गगवाना तहसील व जिला अजमेर अवस्थित उक्त आराजी खसरा संख्या 1087/2777 एवं 1086/2778 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है तथा हाल खसरा संख्या 1085 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है, तथा हाल खसरा संख्या 1086/2780 के खातेदार में यूनिक रिट्रेडर्स पार्टनर श्री हर्षधन गोयल एवं डॉ0 राधकिशन गोयल

Scanned with CamScanner

जाति अग्रवा से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2006 द्वारा कय कर काबिज चली आ रही है तथा हाल खसरा संख्या 1086 एवं 1090/2779 प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी वर्किंग खसरा संख्या 1127 के हाल खसरा संख्य 1087/2777 व 1086/2778 की भूमि के उत्तर की दिशा में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी वर्किंग खसरा संख्या 1128 के हाल खसरा संख्या 1090/2779 एवं 1068 आगे अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी वर्किंग खसरा 477 के हाल खसरा संख्या 1065 की खातेदारी की आराजी स्थित है। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 1087/2777 व 1086/2778 की भूमि के उत्तर की दिशा में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी वर्किंग खसरा संख्या 1128 के हाल खसरा संख्या 109/2779 एवं 1086 वर्तमान हाल खसरा संख्या 1090/2779 की उत्तर पश्चिमी मेड की सींव के सहारे सहारे एवं आगे अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि एवं वर्किंग खसरा 476 के हाल खसरा संख्या 1091/2794 की मेड पर होकर आने जाने का रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण आए दिन अप्रार्थी संख्या 1 को अपनी आराजी में आने जाने व कृषि कार्य करने एवं फसल के लाने ले जाने के संसाधन बाबत रोकना व समस्त कृषि कार्य बाबत प्रार्थी 1 के द्वारा आए दिन झगडा फसाद करना तथा अप्रार्थी को परेशान किया जाता है। प्रार्थी संख्या 1 वर्किंग 1128 के हाल खसरा संख्या 1090/2779 एवं 1086 की कृषि भूमि के उत्तर पश्चिम मेड/सींव के हाल खसरा 109/2779 सहारे आते जाते रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी/काश्तकारी की आराजी हाल खसरा संख्या 1087/2777 व 1086/2778 प्रार्थी संख्या 1 के हाल खसरा संख्या 1090/2779 व 1086 सींव के उत्त पश्चिमी सहारे हाल नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है, उक्त को 30 फीट चौडाई का रास्ता हाल खसरा संख्या 1085 की उत्तर पश्चिम सीमा तक दिया जाना आवश्यक ग्राम गगवाना तहसील अजमेर जो वर्तमान आराजी संख्सया 1092 की भूमि पर आम रास्ता है प्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि आराजी वर्किंग खसरा संख्या 1128 उत्तर पश्चिम सीव हाल खसरा संख्या 109022779 व 1066 के उत्तर पश्चिम सींव के सहारे जो नक्शा में लाल स्याई से दर्शाया रास्ता कायम किया जाकर उक्त राजस्व अभिलेख में अंकन किए ज़ाने के आदेश प्रदान करावे इस हेतु अप्रार्थी डीएलसी दर से भुगतान अदा करने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसके खेतो में जाने के लिए रास्ता उपलबध होने के उपरान्त भी अलग से उसकी सुविधा के लिए नया रास्ता कायम करवाना चाहते है, प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जावे। इसके अतिरिक्त तहसीलदार, अजमेर ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीया का खसरा नम्बर 1087/2777 बनता है जिसमें आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है प्रार्थीया द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित समझते है। तहसीलदार, अजमेर के समक्ष मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु उभयपक्षकारान को सूचित किया गया, किन्तु भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 07.03.2021 में भी मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित नही हुआ तथा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपखण्ड अधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अपने खेत पर आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से नये रास्ते के आदेश पारित किये है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 /प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अतंर्गत प्रस्तुत किया था तथा उक्त पत्रावली में सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 10.12.2021 की नियत थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को सुनवाई हेतु कोर्ट केम्प ग्राम गगवाना में सुनवाई हेतु दिनांक 12.11.2021 को नियत की गई तथा नियमानुसार लोक अदालतों में पक्षकारों के बीच केवल आपसी राजीनामे के आधार पर ही निर्णय किए जा सकते हैं परंतु उक्त पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राथीगण/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी/अपीलांट के बीच विवादित आराजीयात बावत किसी भी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ और नहीं उक्त दिनांक 12.11.2021 को उक्त पक्षकारगण उपस्थित हुए इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बावत बिना पक्षकारों के आपसी राजीनामे एवं बिना उपस्थिति के उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 12.11.2021 पारित किया है जो कि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने से उक्त आदेश दिनांक 12.11.2021 को निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट गगवाना ग्राम पंचायत गगवाना, प्रकरण संख्या 06/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.11.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में तहसीलदार, अजमेर से उभयपक्षकारान को नोटिस द्वारा सूचित कर, उभयपक्षकारान की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करें,तथा मौके पर यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत करता है तो आपत्ति का निस्तारण करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिनुसार शीघ्र निर्णित करना सुनिश्चित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंवर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner